राज्य के विभिन्न आयोगों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों को सातवें केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में पुनरीक्षित वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-02/01/2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आहूत बैठक की कार्यवाही:-

राज्य के विभिन्न आयोगों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त महानुभावों/पदाधिकारियों/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सातवें केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में पुनरीक्षित वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

1. वैसे आयोग जिसके नियमावली/अधिनियम में वेतन एवं सेवा शर्त्त गठित है तथा नियमावली/अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष का वेतन मुख्य सचिव, बिहार के वेतन के समतुल्य तथा सदस्य का वेतन राज्य सरकार के सचिव के समतुल्य विहित किया गया है, उनके सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

(i) दिनांक-01/04/2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत अध्यक्ष का वेतन रु० 2.25 लाख प्रतिमाह निर्धारित किया जाय। इस पद पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में दिनांक-01/04/2017 को प्राप्त पुनरीक्षित पेंशन (कम्यूटेशन सहित) की राशि घटा दी जाएगी।

(ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य सरकार के सचिव का वेतन स्तर-14 स्वीकृत है। यदि कोई सेवानिवृत्त पदाधिकारी आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होता है तो सेवानिवृत्ति के समय जो वेतन प्रक्रम अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त हो रहा था, उसमें 2.57 से गुणा करने पर जो राशि आएगी, उसे पे-मैट्रिक्स के वेतन स्तर-14 में निर्धारित किया जाएगा। इस राशि में से दिनांक- 01/04/2017 को प्राप्त पुनरीक्षित पेंशन (कम्यूटेशन सहित) की राशि घटा दी जाएगी। इस तरह से निर्धारित वेतन एवं पेंशन पर क्रमशः अनुमान्य महंगाई भत्ता/राहत प्राप्त होता रहेगा। यह लाभ दिनांक-01/04/2017 से या नियुक्ति की तिथि, जो बाद में हो, से अनुमान्य होगा।

(iii) सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से भिन्न यदि किसी महानुभाव की नियुक्ति सदस्य के पद पर होती है, तो उनका वेतन पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स के वेतन स्तर-14 के प्रारम्भिक प्रक्रम अर्थात् ₹1,44,200/- (एक लाख चौवालिस हजार दो सौ रुपये) होगा।

2. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन एवं सेवा शर्त्त विनियमावली, 1960 से शासित होते है, जिसके अनुसार अध्यक्ष का ₹80,000/- तथा सदस्य का ₹70,000/- नियत वेतन अनुमान्य है, इनके सन्दर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

(i) आयोग के अध्यक्ष का वेतन मुख्य सचिव के समतुल्य दिनांक-01/04/2017 से ₹ 2.25 लाख प्रतिमाह निर्धारित किया जाए। इस पद पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में दिनांक-01/04/2017 को प्राप्त पुनरीक्षित पेंशन (कम्यूटेशन सहित) की राशि घटा दी जाएगी।

(ii) आयोग के सदस्य का वेतन अध्यक्ष के वेतन के अनुपात में दिनांक-01/04/2017 से ₹2.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस पद पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में दिनांक-01/04/2017 को प्राप्त पुनरीक्षित पेंशन (कम्यूटेशन सहित) की राशि घटा दी जाएगी।

3. वैसे आयोग जिसके नियमावली/अधिनियम में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य का वेतन बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य/अध्यक्ष के समतुल्य होने का प्रावधान विहित है, वैसे मामले में उपरि कंडिका-2 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

4. उपर्युक्तानुसार संबंधित विभाग नियमावली/अधिनियम में संशोधन कर लेगा।

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
(सुजाता चतुर्वेदी)	(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)	(आमिर सुबहानी)	(शिशिर सिन्हा)	(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,	सचिव,	प्रधान सचिव	विकास आयुक्त।	मुख्य सचिव
वित्त विभाग।	विधि विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग		

बिहार सरकार

वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-14/2017- 379 /वि०, पटना, दिनांक- 16-1-18

प्रतिलिपि-सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/2018

(सुरेन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव,
वित्त विभाग।